न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 05/2024 G.C.M.S. No. 2024/37 दर्ज दिनांक : 11.01.2024

अपीलार्थी:

1. बाबू खां वल्द हकीम खां, उम्र 72 वर्ष, जाति मुसलमान, निवासी 157, दुर्गा कॉलोनी, रामदेव रोड़ पाली, तहसील व जिला पाली।
2. मुन्नी उर्फ मुमताज बानो पुत्री घीसू खां, पत्नि फकीर मोहम्मद, उम्र 36 वर्ष, जाति मुसलमान, निवासी बिचला बास, बलुण्दा, तहसील जैतारण, वर्तमान जिला ब्यावर।
3. मैना पुत्री घीसू खां, पत्नि सुल्तान खां, उम्र 60 वर्ष, जाति मुसलमान, निवासी बसी का बास, भटिण्डा, तहसील व जिला जोधपुर।
4. शफी मोहम्मद वल्द हकीम खां, उम्र 51 वर्ष
5. सतार खां वल्द हकीम खां, उम्र 53 वर्ष
6. सदीक खां वल्द हकीम खां, उम्र 60 वर्ष, जातिगण मुसलमान, निवासीगण 348, दुर्गा कॉलोनी, रामदेव रोड़ पाली, तहसील व जिला पाली।
7. मृत सुबान खां वल्द हकीम खां के कायम मुकामः–
   7/1 ईरफान खां पुत्र सुबान खां, उम्र नाबालिग 17 वर्ष
   7/2 जावेद पुत्र सुबान खां, उम्र नाबालिग 8 वर्ष
   7/3 खुशी पुत्री सुबान खां, उम्र नाबालिग 12 वर्ष
   7/4 सेनाद उर्फ शहनाज बानो पत्नि सुबान खां, उम्र 42 वर्ष, जातिगण मुसलमान, निवासीगण 348, दुर्गा कॉलोनी, रामदेव रोड़ पाली, तहसील व जिला पाली हाल ठिकाना 12, अशरफों रज्जा कॉलोनी, नया गांव, पाली, तहसील व जिला पाली अपीलार्थिगण संख्या 7/1 लगायत 7/3 सभी नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता अपीलार्थी संख्या 7/4 सेनाद उर्फ शहनाज पत्नि सुबान खां, उम्र 40 वर्ष, जाति मुसलमान, निवासी 12, अशरफों रज्जा कॉलोनी, नया गांव, पाली, तहसील व जिला पाली।
8. सुलेमान खां वल्द हकीम खां, उम्र 61 वर्ष, जाति मुसलमान, निवासी 348, दुर्गा कॉलोनी, रामदेव रोड़ पाली, तहसील व जिला पाली।
9. सिकंदर खां वल्द घीसु खां, उम्र 43 वर्ष, जाति मुसलमान, निवासी 29, मुख्य बाजार गली, चण्डावल स्टेशन, चण्डावल, तहसील सोजत, जिला पाली।
10. अकबर खां वल्द घीसु खां, उम्र 46 वर्ष, जाति मुसलमान, निवासी विद्यालय के पास चावण्डिया, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर।

बनाम

प्रत्यर्थिगणः

1. नूर मोहम्मद वल्द इस्माईल खां, उम्र बालिग
2. शकुर मोहम्मद पुत्र इस्माईल खां, उम्र बालिग, जातिगण तेली मुसलमान, निवासीगण चावण्डिया, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर।
3. सायरी बानो पुत्री इस्माईल खां, पत्नि भूरे खां, उम्र बालिग, जाति तेली मुसलमान, निवासी राईका का बास, सांडिया, तहसील सोजत, जिला पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

4. जुमली पुत्री इस्माईल खां, पत्नि शकूर खां, उम्र बालिग, जाति तेली मुसलमान, निवासी हापत, तहसील सोजत व जिला पाली।
5. मरियम बानू पुत्री इस्माईल खां, पत्नि हासम खां, उम्र बालिग, जाति तेली मुसलमान, निवासी जैतारण रोड़, निमाज, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर।
6. इकबाल वल्द रहीम बक्ष, उम्र बालिग
7. सलीम वल्द रहीम बक्ष, उम्र बालिग
8. मैना पत्नि रहीन बक्ष, उम्र बालिग, जातिगण तेली मुसलमान, निवासीगण चावण्डिया, तहसील जैतारण व जिला ब्यावर।
9. रजिया बानू पुत्री रहीम बक्ष, पत्नि सिकंदर खां, उम्र बालिग, जाति तेली मुसलमान, निवासी चावण्डियाकलां, तहसील जैतारण व जिला ब्यावर।
10. तहसीलदार जैतारण (भूमिधारी) तहसील जैतारण।

परफोर्मा रेस्पोंडेंटः–

11. जवरू खां वल्द दाउद खां, उम्र बालिग
12. मोहम्मद वल्द दाउद खां, उम्र बालिग
13. रहमान वल्द घीसु खां, उम्र बालिग, जातिगण मुसलमान, निवासीगण चावण्डिया, तहसील जैतारण व जिला ब्यावर।
14. जगदीशचन्द्र पुत्र नारायणलाल, उम्र बालिग
15. महिपाल परिहार पुत्र केसाराम, उम्र बालिग, जातिगण सीरवी, निवासीगण नोख, तहसील रायपुर, वर्तमान जिला ब्यावर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 03/2022 बअनवान नूर मोहम्मद वगैरह बनाम अकबर वगैरह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.02.2023 प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1968

पैरोकार–

1. श्री दौलत मकवाणा, श्री भरत उपाध्याय, श्री कुलदीपसिंह राजपुरोहित, श्री श्रवण देवासी, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, श्री जगदीश सोलंकी, श्री सदाम काजी, श्री इमरान खान, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स।

निर्णय

दिनांकः 14.11.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 03/2022 बअनवान नूर मोहम्मद वगैरह बनाम अकबर वगैरह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.02.2023 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 लगायत 9 ने अपीलार्थीगण एवं रेस्पोंडेंट संख्या 10 तथा परफोर्मा रेस्पोंडेंट संख्या 11 लगायत 15 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अंतर्गत धारा 53 व 188 के तहत प्रस्तुत कर बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

करने बाबत अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। जोकि विधिसम्मत नहीं हैं। चूंकि रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 लगायत 9 की ओर से अपीलार्थीगण की तलबी हेतु नये पतों सहित सम्मन प्रस्तुत नहीं कर पुनः ग्राम चावण्डिया के पते के सम्मन प्रस्तुत किये गये, जो योग्य अधिन न्यायालय द्वारा विधि एवं नियम विरूद्ध जारी किये गये। तत्पश्चात् रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 लगायत 9 ने तहसील जैतारण के तामिल कुन्नीदा मुकेशकुमार पुत्र पीथारामजी के साथ मिलीभीगत, मिलावट, साजिश एवं षडयंत्र कर अपीलार्थीगण बाबू खां, शफी मोहम्मद, सतार खां, सदीक खां, ईरफान, खुशी, सुलेमान खां, सिकन्दर व अकबर को पेशी तारीख 19.05.2022 के लिए जारी सम्मनों पर उनके फर्जी व कूटरचित हस्ताक्षर करवाकर तथा अपीलार्थीगण मुन्नी, मैना, जावेद, सेनाद को पेशी तारीख 19.05.2022 के लिए जारी सम्मनों पर उनके फर्जी एवं कूटरचित अंगुष्ठ निशान कर अपीलार्थीगण पर सम्मनों की सम्यक तामिल होना दर्शाते हुये उक्त सम्मन पुनः योग्य अधिन न्यायालय को प्रेषित कर अपीलार्थीगण के विरूद्ध उक्त फर्जी तामिल के आधार पर पेशी तारीख 19.05.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित करवाये गये। इस प्रकार प्रकट है कि प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण पर विधि व नियमानुसार तामिल नहीं करवाई गई, फिर भी प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण की तामिल पर्याप्त मानकर वादी/रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 नूर मोहम्मद व उसके गवाह कमलेश की साक्ष्य कलमबद्ध कर वादीगण के अधिवक्ता की एकतरफा अंतिम बहस सुनकर अपीलाधीन एकतरफा निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित कर वादीगण/रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 9 का दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण के डिक्री किया, जिससे अपीलार्थीगण को सख्त प्रिज्युडिस हुई। इसके अलावा जैर अपील निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री अनुसार भी वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 198 का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाडा किये जाने बाबत निर्णय पारित किया गया, फिर भी अपीलार्थीगण को कोई नोटिस दिये बिना तथा नियम 18 से 21 की अनुपालना किये बिना अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति मे रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 लगायत 9 ने रेस्पोंडेण्ट तहसीलदार व हल्का पटवारी से मिलीभगत एवं मिलावट कर प्रस्तावित बंटवाडा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बाले–बाले तैयार करवा कर योग्य अधिन न्यायालय से एकतरफा निर्णय एवं अन्तिम डिक्री पारित करवा दी। जिससे अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व प्राथमिक डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेंट वादीगण द्वारा अपीलांट व दीगर रेस्पोंडेंट के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात के बंटवाड़ा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.02.2023 द्वारा निर्णित व प्राथमिक डिक्री कर वादग्रस्त आराजीयात का मुताबिक राजस्व रेकर्ड बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स मौके पर विभाजन हेतु डिक्री पारित की गई। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील विलंब के साथ प्रस्तुत की गई। विलंबकाल माफ करने के लिए अपीलांट द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। हमारे विनम्र मत में प्रकरण में दीर्घ विलंब निहित नहीं हैं तथा अपीलांट की लापरवाही या उदासीनता से विलंब कारित होना स्पष्ट नहीं हैं। साथ ही प्रकरण का निर्णयन कठोर, तकनीकी, प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।
2. अपीलांट द्वारा मुख्य रूप से यह उज्र लिया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय में अपीलांट्स की समुचित तामील हुए बिना अपीलांट्स के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर अपीलाधीन एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। जो काबिल अपास्त है। हमारे विनम्र मत में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा हस्तगत विभाजन के वादपत्र में साक्ष्य उपरांत अविभाजित सहखातेदारी भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किए जाने की डिक्री पारित की गई हैं। अपीलांट्स द्वारा अपील में सहखातेदारान के मध्य हिस्से को लेकर किसी प्रकार का कोई उज्र नहीं लिया गया है व न ही इस संबंध में कोई विवाद होना जाहिर किया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा किसी विशिष्ट भूभाग को किसी विशिष्ट सहखातेदार को विभाजन में प्रस्तावित किए जाने बाबत कोई डिक्री पारित नहीं की गई हैं। अतः सारवान रूप से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में कोई त्रुटि नहीं हैं तथा इस स्तर पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को प्रेषित सम्मन की तामील सम्यक रूप से हुई या नहीं तथा अपीलांट्स के विरूद्ध की गई एकपक्षीय कार्यवाही विधिसम्मत थी या नहीं आदि उज्र स्वीकार योग्य नहीं हैं।
3. अपीलांट्स द्वारा अपील में यह भी उज्र लिया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाड़ा बाबत पारित की गई। इसके बावजूद तहसीलदार द्वारा नियम 18 से 21 की पालना किए बिना तथा अपीलांट्स को सूचित किए बिना विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। जिससे

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है, के संबंध में हमारा विनम्र मत है कि हस्तगत अपील प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। जबकि विभाजन प्रस्ताव एवं विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय नियम 18 से 21 की अनुपालना से विचलन आदि कार्यवाही प्राथमिक डिक्री की पश्चातवर्ती कार्यवाही होती हैं। जिसके संबंध में अंतिम डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में ही उज्र लिया जा सकता है। अतः इस स्तर पर उक्त उज्र स्वीकार योग्य नहीं हैं।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारे विनम्र मत में अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने व अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पुष्टि किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट्स अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 03/2022 बअनवान नूर मोहम्मद वगैरह बनाम अकबर वगैरह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.02.2023 की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **14.11.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner